न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 55/2018 निर्णय दिनांकः– 30-10-25
(जीसीएमएस संख्या 2018/00449)

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
2. निदेशक जिला भेड़ उन विभाग, बीकानेर।
3. स्टेट जरिये तहसीलदार, कोलायत, बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. विनय कुमार पुत्र नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी मकान संख्या 131, लाजपतनगर, मुरादाबाद (उतर प्रदेश) हाल आबाद ग्राम सालासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02–06–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक
2. श्री हरीश कोठारी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 02–06–2017 जिसके द्वारा वाद संख्या 06/15 अनुवाद विनयकुमार बनाम सरकार विधि विरूद्व तरीक से डिक्री किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के नाम से ग्राम सालासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 111 तादादी 99.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 तादादी 11.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 तादादी 90.5900 हैक्टेयर इस प्रकार कुल तादादो 201.7200 हैक्टेयर रिकॉडेर्ड भूमि है, जिस पर अपीलान्ट का बदस्तूर कब्जा एवं अधिकार है। अपीलान्ट के द्वारा उपरोक्त भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है, तथा उक्त भूमि पर बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए है। तथा उपरोक्त रकबा के चारो तरफ तारबन्दी की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की है और ना ही मौका का ही अवलोकन किया है, क्योंकि पटवारी हल्का की फर्द रिपोर्ट दिनांक 27.12.2016 के अनुसार खसरा नम्बर 114 तादादी 4.05 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 119 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल 4.55 हैक्टेयर भूमि पर वन विभाग का कब्जा है उक्त रकबा एन एच 15 पर स्थित है, जिसके फ्रन्ट पर चार दिवारी की हुई और मौके पर बबूल के पेड़ लगे हुए, मौके पर वन विभाग के बाउन्ड्री पिलर किए हुए है. इससे ही स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट का अवलोकन किए, बिना मौका की जांच किए अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है, जिसे किसी भी स्थिति में कायम नहीं रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुर्णतयाः विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

मियाद के बिन्दू पर अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 12.09.2017 को अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री की नकल के साथ पत्रांक 257 दिनांक 12.09.2017 को भेजी तब उन्होने अपने पत्रांक 5705 दिनांक 26.10.2017 को बिन्दुओ की रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा, इसके जवाब में दिनांक 07.12.2017 को मंगवाई गई रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को भेजी गई। तब जरिये पत्रांक 3554 दिनांक 08.05.2018 को सुचना दी गई कि अपीलाधीन आदेश एवं डिकी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करें, तत्पश्चात विभाग के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर को राजकीय अभिभाष नियुक्त करने के लिए लिख तो श्रीमान जिला कलक्टर बीकानेर ने राजकीय अभिभाषक नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की तो फिर राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर आवश्यक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दस्तावेजात उपलब्ध करवाए, तो राजकीय अभिभाषक ने बिना किसी प्रकार की देरी किए, अपील प्रस्तुत कर रहे है, अपीलान्टस ने जानबूझ कर या गफलत में रह कर कोई देरी नहीं की है, बल्कि आवयक प्रक्रिया में जो समय लगा उसके तुरन्त बाद अपील प्रस्तुत की जा रही है, ऐसी स्थिति में अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

अपीलांट की ओर से प्रभारी अधिकारी ए.सी.एफ. बीकानेर ने बहस में कथन किये कि अपीलाधीन आराजी पर यदि वन विभाग गलती से काबिज हो भी गया है तो वर्तमान में इस जमीन पर वन विभाग के पेड़ लगे है और दीवार बनी हुई है। विभाग के हितो की सुरक्षा आवश्यक है कि वन विभाग की जमीन पूरी करते हुए तथा अपीलाधीन आराजी पर लगे पेड़ व अवसरचंनाओं का पुनः भरण यदि रेस्पोडेन्ट कर देता है तो विभाग को कोई आपत्ति नही है। विभागीय हितो को देखते हुए अपील का निस्तारण किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम में जो विलम्ब के कारण अंकित किये है वो मनगढत एवं संतोषजनक कारण नहीं है। मियाद अधिनियम के प्रावधान सब के लिए समान है। सरकारी विभाग को विशेष छूट प्रदान नही की जा सकती है। अपील 1 वर्ष के बाद प्रस्तुत हुई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण भी दर्शित नही किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया है। ऐसे में अपीलांट्स की अपील मियादं बाहर होने के कारण मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में 2014(1) सीसीसी 0690 पेश किया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट एक वाद पत्र अपीलांट सं. 1 वन विभाग के विरूद्ध बाबत बेदखली एवं हुक्म इम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें निदेशक, भेड ऊन, विभाग व राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोलायत को भी पक्षकार संयोजित किये गये। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 115 तादादी 4.78 हैक्टेयर, 119 तादादी 1.20 हैक्टेयर, 114 तादादी 6.83 हैक्टेयर व ख.नं. 118 तादादी 11.08 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

23.89 हैक्टेयर जो ग्राम सालासर तहसील कोलायत में स्थित है, रेस्पोडेन्ट के कब्जे अधिकार एवं खातेदारी में चली आ रही थी। रेस्पोडेन्ट की उक्त खातेदारी भूमि के चिपते ही भूमि खेत ख.नं. 111 तादादी 99.65 हैक्टेयर, 137 तादादी 11.45 हेक्टेयर 143 तादादी 90.59 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 201.72 हैक्टेयर भेड व ऊन विभाग के स्वामित्व व कब्जे अधिकार को भूमि जो उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस पर वन विभाग का कब्जा है तथा वर्तमान में उनके अधीन ही है। उक्त भूमि की आड में अपीलांट सं. 1 ने रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि ख.नं. 114 की 4.00 हैक्टर व ख.नं. 119 की 0.70 हैक्टेयर कुल 4.70 हैक्टेयर भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। कब्जा दिनांक 15.12.12 के कर लिया जिसकी ताईद फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 15.12.12 से होनी है। इस प्रकार अपीलांट रेस्पोडेन्ट की भूमि पर ट्रेसपासर है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट से कब्जा छुडवाने हेतु कई बार मेमोरेण्डम दिये गये लेकिन मांगने पर भी अपीलांट ने कब्जा रेस्पोडेन्ट को नहीं लौटाया तथा दिनांक 09.03.2015 को अपीलांट सं. 1 के प्रतिनिधि ने भूमि खाली न करने की धमकी रेस्पोडेन्ट को दी। उक्त वादग्रस्त भूमि से कब्जा पुनः अपीलांट से रेस्पोडेन्ट को दिलाये जाने एवं आयन्दा अपीलांट को उक्त भूमि के रेस्पोडेन्ट के साथ कब्जे काश्त में दखलंदाजी व बेदखल करने से रोक आज्ञा की डिक्री सादिर कर वादी के पक्ष में दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। तब रेस्पोडेन्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02–06–2017 से वादी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में डिक्री किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 2011(4) पेज 0706, पेश किया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद का बिन्दू तय किया जाना है। प्रकरण में जहां तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–06–2017 के विरूद्ध अपील दिनांक 24–07–2018 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट ने जान बूझकर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जहॉ विलम्ब अवधि अत्यधिक न हो वहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं की जगह गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण कर प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 02–07–2017 के द्वारा दावा वादी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में डिक्री किया गया था जिसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

हस्तगत अपील में न्यायालय को यह विचारण करना है कि –

ए– क्या अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार काश्तकार है अथवा नही?

बी– क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट उभय पक्ष की उपस्थिति में बनाई गई है?

सी– क्या रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अपीलांट/ वन विभाग काबिज है अथवा नही?

डी– क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि में कोई अधिकार सृजित होते है अथवा नही?

ई– वन विभाग के एक्ट व नियमो का प्रकरण में क्या प्रभाव है?

उपर्युक्त बिन्दुओं का विवेचन निम्नानुसार किया जाता है–

ए– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी संवत 2068–71 ग्राम सालासर के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन भूमि (खसरा संख्या 114, 115, 119 कुल 23.89 हैक्टर) रेस्पोडेन्ट के नाम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः अपीलाधीन भूमि का खातेदार अपीलांट न होकर रेस्पोडेन्ट है।

बी– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 27–12–2016 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई साथ ही एक नजरी नक्शा तैयार किया गया था। मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का चाण्डासर, पटवारी हल्का मण्डाल चारणान, पटवारी हल्का गजनेर, वन विभाग के रेन्जर श्री भंवर सिंह, नरेश अग्रवाल की उपस्थिति में तेयार की गई। स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट वन विभाग की उपस्थिति में तैयार की गई है। अपीलांट का यह ऐतराज मानने योग्य नही है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया था। क्योकि मौका रिपोर्ट तैयार करने वक्त वन विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे । साथ ही अपील के स्तर पर तामील का प्रश्न नही उठाया जा सकता है। जब इस न्यायालय में दोनो पक्ष उपस्थित है तो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है।

सी– मौका रिपोर्ट के पेरा संख्या 2 के अनुसार "मौके पर खसरा नम्बर 114, 119 व 111 का मुताबिक राजस्व शीट के अनुसार सीमाज्ञान करने पर खसरा नम्बर 114 में रकबा 4.05 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 119 में रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल 4.55 हैक्टैयर भूमि भूमि पर वन विभाग का कब्जा है। उक्त कब्जे शुदा रकबा 4.55 में एन.एच. 15 के फ्रन्ट पर चारी दीवारी की हुई है। और माके पर बबूल (टोर्टलिस) के पेड़ लगे हुए है। मौके पर उक्त कब्जे में सीमा पर वन विभाग के बाउन्ड़ी पिलर बने हुए है। मौके की उक्त स्थिति को दर्शाते हुए नजरी नक्शा पुश्त पर अंकित है।" पेरा संख्या 3 के अनुसार "मौका स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 111 का जो रिकॉर्ड अनुसार भेड़ उन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड होकर वन विभाग के कब्जा में है। **खसरा नम्बर 111 में से कुल 4.55 हैक्टेयर भूमि मौके पर वन विभाग के कब्जा से बाहर खाली छोड़ रखी है** जिसको संलग्न पुख्त पर अंकित नक्शे में दर्शाया गया है।"

मौका का नक्शा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

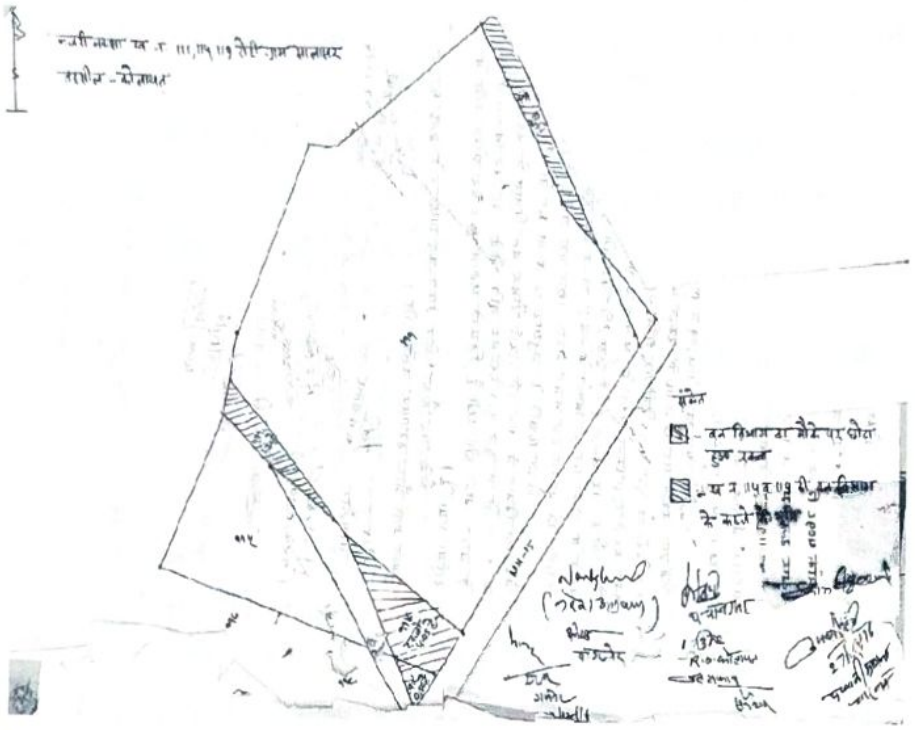

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से स्पष्टतः उल्लेखित है कि खसरा नम्बर 114 में 4.05 हैक्टर रकबा तथा खसरा नम्बर 119 में 0.50 हैक्टर कुल 4.55 हैक्टर भूमि पर वन विभाग का कब्जा है तथा वन विभाग द्वारा अपनी इतनी ही भूमि खाली छोड़ी हुई है। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से अपीलांट की भूमि पर वन विभाग का कब्जा होना साबित होता है।

डी– प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कब्जे के आधार पर वन विभाग को इस भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है अथवा नही? क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इस भूमि में वन विभाग के अधिकारो का सृजन होता है अथवा नही? इस संबंध में विधिक स्थिति एकदम स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रकरण बअनवानी स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार वगै. में यह अवधारित किया है कि–
न्यायिक दृष्टांत 2011 सीसीसी पेज 706 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

"प्रतिकूल कब्जा– पुलिस विभाग द्वारा दावा–किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और पुलिस विभाग को प्रतिकूल कब्जा के प्रावधानो का उपयोग करके भूमि या भवन स्वामित्व पूर्ण करने और किसी भी तरह से अपने ही नागरीको की संपति हड़पने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। यदि कानून के रक्षक ही संपति (भूमि और भवन) के हड़पने वाले बन जाते है तो लोगो के पास कोई सुरक्षा नही बचेगी और पूरे देश में पूर्ण अराजकता फेल जाएगी।"

ई– वन विभाग के प्रतिनिधि की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये जिससे कि यह साबित होता है कि अपीलाधीन आराजी वन विभाग की भूमि है और वह उस पर अतिक्रमणकारी नही है। अपीलांट की ओर से अपनी बहस में वन विभाग से संबंधित कोई नियम, अधिनियम या परिपत्र प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि वन विभाग द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर वृक्षारोपण कर देने मात्र से यह भूमि वन विभाग के क्षेत्राधिकार में आ जाती है। प्रभारी अधिकारी अपीलांट/राजकीय अधिवक्ता अपनी बहस में यह साबित करने में असफल रहे है कि रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि पर वन विभाग काबिज है, इस सूरत में वन अधिनियम के वे कौन से प्रावधान है जो कि इस भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व/अधिकार सृजित करते है। अपीलांट द्वारा ऐसे कोई नियम/अधिनियम/उपनियम प्रस्तुत नही किये गये है।
प्रभारी अधिकारी ए.सी.एफ, बीकानेर द्वारा दौराने बहस यह अभिकथित किया है कि यदि रेस्पोडेन्ट की भूमि पर वन विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ो व अवसरंचनाओं के मूल्य का पुनःभरण कर दिया जाए तथा वन विभाग की जमीन पूरी कर दी जाए तो अपीलांट को कोई आपत्ति नही है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने पुनःभरण हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

अपीलांट द्वारा अपील और बहस में मौका रिपोर्ट के गलत होने के संबंध में कोई ऐतराज नही किया है। वस्तुतः वन विभाग के द्वारा अपनी पीछे की 4.55 हैक्टर भूमि खाली छोड़ दी गई है। और इतनी ही अपीलाधीन भूमि पर काबिज होना प्रकट होता है। इस स्थिति में वन विभाग की भूमि में कोई कमी नही हुई है। संयुक्त मौका रिपोर्ट से अपीलांट की भूमि पर वन विभाग का काबिज होना प्रकट होता है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नही की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. उक्त विवेचन के आधार परं अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–06–2017 यथावत बहाल रखते हुए रेस्पोडेन्ट को निर्देशित किया जाता है अपीलाधीन भूमि पर स्थित वन विभाग के वृक्षों व अवसरंचनाओं के मूल्य का पुनःभरण अपीलांट/विभाग को किया जावे। प्रभारी अधिकारी ए.सी.एफ, बीकानेर अपीलाधीन भूमि पर स्थित वृक्षों व अवसरंचनाओं का एस्टीमेट बनाकर रेस्पोडेन्ट को दिये जाने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा एक माह में इसका पुनःभरण विभाग को किया जाएगा। साथ ही तहसीलदार, कोलायत को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट/प्रभारी अधिकारी ए.सी.एफ., बीकानेर की उपस्थिति में वन विभाग को सीमाज्ञान करवाकर विभाग की सम्पूर्ण भूमि का कब्जा सूपुर्द किया जावे।

7. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30-10-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर